गोपनीय

उत्तर मध्य रेलवे
NORTH CENTRAL RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
महाप्रबन्धक सतर्कता,
सूबेदारगंज, प्रयागराज–211015

SIV- 02/2022

पत्र सं0: 20210301668/PC/V5/N/ALD **Dated:** 02.05.2022

प्रमुख मुख्य बिजली इंजीनियर,
उ0म0रे0, प्रयागराज।

विषय: कार्य निविदाओं में कार्य के execution के दौरान योग्य इंजीनियरों को कार्य के सुपरविजन हेतु साइट पर निविदा शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा लगाये जाने की सुनिश्चितता हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: 1. रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 2012/CE-I/O/20 दिनांकित 10.05.2013 (प्रति संलग्न)।
2. उ0म0रे0 मुख्या0 का पत्र सं0 74-W/System Improvement/Works दिनांकित 17.07.2020 (प्रति संलग्न)।

उ0म0रे0 के एक मण्डल के कर्षण वितरण विभाग कार्यालय द्वारा मण्डल के 25 KV OHE में लगे पुराने Stay, Bracket, 9 ton insulators एवं Rusty Cantilevers को बदले जाने के लिए अवार्ड किये गये एक कार्य जो मण्डल के विभिन्न 05 OHE डिपो के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने थे, के सम्बन्ध में किये गये सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि कार्य के शुरुआत जुलाई 2019 से दिनांक 12.12.2021 तक की अवधि में लगभग 26 ½ महीने तक execute कराये गये कार्य के दौरान निविदा शर्तों के अनुरूप साइट इंजीनियर कार्य के सुपरविजन हेतु ठेकेदार द्वारा नहीं रखा गया है। उक्त निविदा अन्तर्गत मण्डल के विभिन्न OHE डिपो के कार्यक्षेत्र में कार्य के शुरुआत से दिनांक 12.12.2021 तक (करीब ढाई वर्ष तक) की अवधि में सम्पादित कराये गये कार्यों के लिए 03 OHE डिपो के मद में ठेकेदार द्वारा कोई योग्य ग्रेजुएट इंजीनियर नहीं रखा गया, 01 OHE डिपो के मद में कुछ समय (लगभग ढाई महीने) के लिए BE/B.Tech. डिग्री वाले व्यक्ति को साइट सुपरवाइजर के रूप में रखा गया एवं 01 OHE डिपो में काफी समय बाद कार्य का execution शुरु कराया गया जिसमें दिनांक 12.12.2021 से निविदा शर्तों के अनुरूप वांछित व्यक्ति को साइट सुपरवाइजर के रूप में कार्य पर रखा गया। आगे कार्य execution के मद में बनाये गये रिकार्ड के अवलोकन में यह पाया गया कि उक्त निविदा कार्य अन्तर्गत 04 डिपो में कराये गये कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा साइट पर किन–किन सुपरवाइजरों को लगाया गया है, की जानकारी व उन सुपरवाइजरों के लिए शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र न तो फर्म द्वारा कार्य शुरू करने के पहले सम्बन्धित निविदा कार्यालय में ही जमा किया गया और न ही कार्य execution के दौरान सम्बन्धित OHE डिपो में जमा किया गया। शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित उन सर्टिफिकेटों के लिए सम्बन्धित डिपो इंचार्ज द्वारा ठेकेदार से न तो माँग की गयी और न ही यह सुनिश्चित किया गया कि ठेकेदार द्वारा निविदा शर्तों के अनुसार जिस व्यक्ति को साइट सुपरवाइजर के रूप में रखा जाना है, वह वांछित योग्यता रखता है अथवा नहीं। जबकि एक अन्य OHE डिपो में उक्त निविदा अन्तर्गत execute कराये गये कार्यों के लिए कूटरचित तरीके से तैयार किये गये DPR में कुछ अवधि के रिकार्डों पर ठेकेदार के एक कर्मी द्वारा हस्ताक्षरित करवा कर यह दर्शाने की कोशिश की गयी है कि उस अवधि में निविदा शर्तों के अनुरूप साइट इंजीनियर कार्य के execution के दौरान मौजूद था, जो कि जाँच में संदेहास्पद पाया गया क्योंकि उक्त रिकार्डों पर रेलवे के किसी भी कर्मचारी के हस्ताक्षर ही मौजूद नहीं थे।

जाँच के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि किसी निविदा के आवंटित किये जाने के पश्चात् निविदा डील करने वाले कार्यालय द्वारा उस कार्य के LOA की कापी ही सम्बन्धित फील्ड यूनिटों/डिपो (जिनके कार्यक्षेत्र में कार्य का execution किया जाना है) को भेजा जाता है एवं उस कार्य के निविदा एग्रीमेंट की पूरी कापी उन यूनिटो/डिपो को सामान्यतः नहीं दिया जाता है। चूँकि कार्य में लगने वाले आइटमों की मात्रा एवं

02.05.2022

उनके execution से सम्बन्धित Schedule एवं उसके rate से सम्बन्धित कुछ विवरण ही LOA में दर्शाया जाता है, परन्तु कार्य से सम्बन्धित कौन–कौन सी अन्य शर्तें हैं (technical & commercial) जिसका अनुपालन ठेकेदार द्वारा कार्य के execution के दौरान व contract के पूरे currency के दौरान सुनिश्चित किया जाना है, का विस्तृत ब्यौरा Contract Agreement में ही दिया रहता है। ऐसी स्थिति में एग्रीमेंट की कापी या कार्य के execution के दौरान किन–किन शर्तों (जो LOA में नहीं दिया गया है) का अनुपालन ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित किया जाना है, के सम्बन्ध में विवरण, यदि कार्य execute कराने वाले यूनिटों/डिपो के सुपरवाइजरों को नहीं दिया जाता है, तो वैसी स्थिति में LOA में दी गयी शर्तों के अलावा निविदा एग्रीमेंट की अन्य शर्तों से वे अनभिज्ञ रहेंगे एवं उनसे उन शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की उम्मीद रखना एक कल्पना मात्र ही है।

कार्य निविदाओं में कार्य के execution के दौरान ठेकेदारों द्वारा साइट पर लगाये जाने वाले योग्य इंजीनियरों के सम्बन्ध् में एक दिशा–निर्देश RB द्वारा जारी किया गया है (सन्दर्भ 1)। इस सम्बन्ध में एक विस्तृत दिशा–निर्देश CE/Genl./NCR द्वारा भी सतर्कता विभाग/उ.म.रे. के सलाह पर जारी किया गया है (सन्दर्भ 2), जिसमें RB के उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ–साथ ठेकेदार द्वारा contract के currency के दौरान लगाये जाने वाले साइट इंजीनियर, उनकी हाजिरी के लिए साइट पर रजिस्टर बनाये जाने, उस साइट इंजीनियर के छुट्टी जाने की स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को साइट इंजीनियर के रूप में लगाये जाने इत्यादि के सम्बन्ध में कुछ अन्य शर्तों को शामिल करते हुए एक विस्तृत निर्देश जारी किया गया है, उक्त निर्देशों का अनुपालन वर्तमान मामले में नहीं किया जाना पाया गया।

अतः भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति से बचाव हेतु RB एवं उ०म०रे०/मुख्या० द्वारा सन्दर्भित पत्रों क्रमशः (1) एवं (2) के द्वारा जारी किये गये विभिन्न दिशा–निर्देशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किये जाने के साथ–साथ इससे सम्बन्धित कुछ अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसका अनुपालन किये जाने का सुझाव दिये जाते हैं जिनका विवरण निम्न हैः–

(i) किसी मंडल द्वारा एक ही फर्म को दो या दो से अधिक टेण्डर आवंटित किया गया है एवं उन निविदाओं की currency की अवधि लगभग एक ही है या उस फर्म द्वारा दो या दो से अधिक कान्ट्रैक्टों का execution कुछ समय के लिए समानान्तर में उस मंडल में किया जा रहा हो, तो वैसी स्थिति में निविदा शर्तों के अनुसार किन–किन व्यक्तियों को ठेकेदार द्वारा साइट सुपरवाइजर के रूप में उन अलग–अलग निविदाओं में लगाया जा रहा है, के बारे में विस्तृत ब्यौरा निविदा डील करने वाले कार्यालय के साथ–साथ सम्बन्धित यूनिटों/डिपो (जिनके कार्यक्षेत्र में कार्य का execution किया जाना है) में भी अनिवार्य रूप से ठेकेदार द्वारा जमा किया जाना चाहिए।

(ii) किसी निविदा के आवंटित किये जाने के पश्चात् निविदा डील करने वाले कार्यालय द्वारा उस कार्य के LOA की कापी के साथ–साथ उसके निविदा एग्रीमेंट की पूरी कापी सम्बन्धित फील्ड यूनिटों/डिपो (जिनके कार्यक्षेत्र में कार्य का execution किया जाना है) को भेजा जाना चाहिए। यदि निविदा कार्यालय द्वारा फील्ड यूनिटों/डिपो को निविदा एग्रीमेंट की पूरी कापी भेजना सम्भव न हो, तो एग्रीमेंट में वे कौन–कौन से प्रावधान/शर्तें (technical & commercial) हैं जिनका अनुपालन कार्य के execution के दौरान सुनिश्चित कराया जाना है, का एक विवरण सम्बन्धित रेलवे सुपरवाइजरों को अनिवार्य रूप से भेजा जाना चाहिए, जिससे उसके स्तर पर इस सम्बन्ध में किसी तरह की अनियमितता होने से एक तरफ बचा जा सकता है तो दूसरी तरफ कार्य के execution कराये जाने में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी, जो कि रेलवे के हित में है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्तावित सुझावों को प्रभावी बनाने की दिशा में कृपया यथोचित दिशा–निर्देश जारी करते हुए उ०म०रे० के विद्युत विभाग के सभी सम्बन्धित यूनिटों/कार्यालयों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें। कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने की व्यवस्था करें।

इसे वरि० उप महाप्रबन्धक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्नकः–यथोक्त (05 पेज)

02.05.2022
(धर्मेन्द्र कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/बिजली
कृते महाप्रबन्धक सतर्कता